

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या : ICDS/10050/12-2014 (खंड-3) 39/मु० दिनांक 23.01.2016

प्रेषक,

एस० एम० राजू भा० प्र० से०
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :- विभागीय अधिसूचना संख्या-2280 दिनांक 19.05.2014 के आलोक में बिहार समेकित बाल विकास सेवा लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों का अंतिम रूप से जिला आवंटन।

प्रसंग :- आई.सी.डी.एस.निदेशालय (समाज कल्याण विभाग), बिहार का पत्रांक 4495 दिनांक 18.12.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-2280 दिनांक 19.05.2014 के आलोक में बिहार समेकित बाल विकास सेवा लिपिक संवर्ग के कर्मियों का जिला आवंटन हेतु औपबधिक सूची प्रकाशित करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से एक पक्ष के अन्दर आपत्ति की माँग की गई थी। प्राप्त आपत्ति पर सम्यक् रूप से विचारोपरांत अंतिम रूप से लिपिक संवर्ग के कर्मियों का जिला आवंटन सूची संलग्न की जाती है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2280 दिनांक 19.05.2014 के प्रवृत्त होने के पश्चात जिला स्तर से नियुक्त कर्मियों का नाम इस सूची में दर्ज नहीं है। ये कर्मी संबंधित जिला के संवर्ग के माने गये हैं।

जिला पदाधिकारी संबंधित कर्मचारियों का पदस्थापन जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत बल के विरुद्ध करेंगे।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(एस० एम० राजू)
सचिव

ज्ञापांक:- : ICDS/10050/12-2014 (खंड-3) 39/मु० दिनांक 23.01.2016 23/1/16

प्रतिलिपि:- संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी डाटा सेंटर, आई.सी.डी.एस. को संलग्न सूची को निदेशालय के बेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित कर्मियों को आवंटित जिला हेतु दिनांक 10.02.2016 तक विरमित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव